इंदिरा गांधी
पर्यावरण पुरस्कार-2010

वर्ष 2010 के लिए 'इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार' हेतु पर्यावरण की सुरक्षा/संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले (केवल भारतीय नागरिकों/संगठनों) से नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों का कार्यानुभव रखने वाले किसी भी भारतीय नागरिक (अपने अनुभव के समर्थन में प्रकाशित/क्षेत्र संबंधी कार्य साक्ष्य के रूप में दिया गया हो)/पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत कम से कम पांच वर्षों के अनुभव वाले गैर-सरकारी संगठन/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पर्यावरण एवं वन विभाग/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट द्वारा भारत के ऐसे किसी भी नागरिक अथवा संगठन का नाम निम्नवत विहित प्रपत्र में प्रस्तावित किया जा सकता है जिसे पर्यावरण के क्षेत्र में कम से कम पांच वर्षों का अनुभव प्राप्त हो :

1. नामित व्यक्ति/संगठन का नाम और पता :
2. प्रस्तावक का नाम और पता :
3. नामित व्यक्ति की जन्मतिथि/आयु (व्यक्ति के मामले में) :
4. नामित व्यक्ति का वर्तमान व्यवसाय (व्यक्ति के मामले में) :
5. संगठन का प्रकार (संगठन के मामले में) :
6. विगत में प्राप्त पुरस्कार का विवरण (यदि कोई हो) :
7. प्रस्तावित नामित व्यक्ति/संगठन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान का विवरण :
8. नामांकन के वर्ष से पिछले 3 वर्षों के दौरान प्राप्त निधियों का विवरण :

यह पुरस्कार संगठन वर्ग और व्यक्ति वर्ग, दोनों में दिया जाता है। संगठन वर्ग हेतु रजत कमल ट्राफी सहित पांच लाख रु. प्रत्येक के दो नकद पुरस्कार होते हैं और व्यक्ति वर्ग हेतु रजत कमल ट्राफी सहित पांच लाख, तीन लाख और दो लाख प्रत्येक के तीन पुरस्कार होते हैं। स्व-नामांकनों और संबंधियों द्वारा प्रस्तावित नामांकनों पर विचार नहीं किया जाता है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया मंत्रालय की वेबसाइट **http://www.moef.gov.in** देखें। निर्धारित प्रपत्र में सभी दृष्टि से पूर्ण नामांकनों को सांख्यिकीय सलाहकार (ईआई-प्रभाग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, कमरा सं. 906, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 को भेजा जाएं। नामांकनों के लिफाफों पर इंदिरा गांधी पुरस्कार-2010 हेतु नामांकन लिखा होना चाहिए।

नामांकनों की प्राप्ति हेतु अंतिम तारीख 15 सितंबर, 2010 है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

भारत सरकार

सत्यमेव जयते

जहाँ है हरियाली।
वहाँ है खुशहाली।।

डीएवीपी 13101/11/0008/1011